असम के लिए अंतिम परिसीमन आदेश

सन्दर्भ: ECI ने असम राज्य के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंतिम परिसीमन आदेश प्रकाशित किया।

मुख्य विशेषताएं:

- यह प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8-ए के अनुरूप थी।
- आयोग ने प्राप्त सभी 1222 अभ्यावेदनों की समीक्षा की और उन पर विचार किया, अंतिम प्रस्ताव में लगभग 45% सुझावों/आपत्तियों को संबोधित किया।
- कुछ माँगें संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों से परे पाई गईं और जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया।
- सभी परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित थे, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 82 में उल्लिखित है।
- असम की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 126 रही, और राज्य के लिए लोकसभा में 14 सीटें आवंटित की गईं।
- अनुच्छेद 170 और 82 के अनुसार, वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता है।
- अनुसूचित जातियों को विधानसभा में 09 सीटें और लोकसभा में 1 सीट आवंटित की गई थी।
- इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के प्रावधानों का पालन करते हुए, 19 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और दो संसद निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए थे।

भारत में परिसीमन

- प्रत्येक जनगणना के बाद, अनुच्छेद 82 के तहत संसद द्वारा एक परिसीमन अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, जिससे संघ और राज्यों दोनों के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन होता है।
- अनुच्छेद 170 के अनुसार, परिसीमन अधिनियम राज्यों पर भी लागू होता है, जो प्रत्येक जनगणना के बाद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण का मार्गदर्शन करता है।
- एक बार अधिनियम लागू होने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा एक परिसीमन आयोग की स्थापना की जाती है।
- परिसीमन आयोग, जिसमें एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से संचालित होता है।
- 1950-51 में, चुनाव आयोग की सहायता से, राष्ट्रपति के मार्गदर्शन में प्रारंभिक परिसीमन प्रक्रिया हुई।
- वर्ष 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू हुआ।
- परिसीमन आयोगों का गठन कई अवसरों पर किया गया है: 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के बाद, 1952, 1963, 1973 और 2002 में।
- गौरतलब है कि 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ था।

उपभोक्ता कल्याण कोष

सन्दर्भ: शिकायतकर्ताओं के लिए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति को शामिल करने के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि दिशानिर्देशों को अद्यतन किया गया है।

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का लक्ष्य अध्याय V के तहत मध्यस्थता के माध्यम से कुशल और किफायती उपभोक्ता विवाद समाधान है।
- उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020 को 15 जुलाई, 2020 को अधिसूचित किया गया था।
- उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम 2020 को 24 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया था।
- अधिकांश उपभोक्ता आयोगों द्वारा मध्यस्थता कक्ष स्थापित किए गए हैं, और मध्यस्थों को सूचीबद्ध किया गया है।
- वर्तमान में, पूरे भारत में राज्य आयोगों में 247 और जिला उपभोक्ता आयोगों में 1387 सूचीबद्ध मध्यस्थ हैं।
- सफल मध्यस्थता में बाधा डालने वाली प्राथमिक चुनौती मध्यस्थों को लगने वाला शुल्क है।

उदाहरण: राज्य उपभोक्ता आयोग में ₹60,00,000 के लंबित विवाद में, व्यक्ति 'ए' और 'बी' मध्यस्थता चाहते हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष तथ्यों और राशि पर विचार करते हुए ₹25,000 का मध्यस्थता शुल्क निर्धारित करते हैं। एक सफल मध्यस्थता प्रक्रिया के बाद, विवाद का समाधान हो जाता है, जिससे 'ए' और 'बी' के बीच समझौता हो जाता है। राज्य आयोग में सफल मध्यस्थता के लिए निर्धारित शुल्क (₹5,000) के अनुसार, मध्यस्थ को ₹5,000 का भुगतान किया जाएगा। यह शुल्क उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) फंड पर अर्जित ब्याज से प्राप्त किया जाएगा, जो राज्य और उपभोक्ता मामलों के विभाग दोनों के योगदान के माध्यम से स्थापित किया गया है।

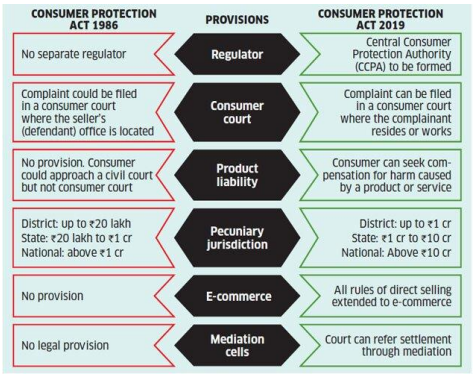

उपभोक्ता कल्याण कोष·

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित।
- उपभोक्ता कल्याण निधि नियम (1992) को CGST नियम, 2017 में विलय कर दिया गया।
- राजस्व विभाग द्वारा सेटअप, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित।
- **उद्देश्य:** उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देना और उसकी सुरक्षा करना।
- इस पहल में प्रतिष्ठित संस्थानों में उपभोक्ता कानून अध्यक्ष/उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं।
- उपभोक्ता जागरूकता और साक्षरता फैलाने के लिए परियोजनाएँ।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत वित्त पोषित।

पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)

सन्दर्भ: बिजली नेटवर्क में राष्ट्रीय स्तर की समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (AT & C) हानि वर्ष 2020-21 में 22.3% से घटकर वर्ष 2021-22 में 16.4% हो गई।

पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)

- भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (**RDSS**) शुरू की गई।

- **उद्देश्य**: वितरण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और परिचालन दक्षता बढ़ाना।
- **योजना परिव्यय**: अनुमानित 97,631 करोड़. रु. केंद्र सरकार बजटीय सहायता के साथ 3,03,758 करोड़ रुपये।
- **लक्ष्य**: राष्ट्रीय स्तर पर AT & C हानियों को 12-15% तक कम करना, 2024-25 तक ACS-ARR अंतर को समाप्त करना।
- **अवधि**: पांच वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26), तिथि 31 मार्च, 2026 के साथ।
- **अवयव**: भाग 'ए' - प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, सिस्टम मीटरिंग, वितरण अवसंरचना; भाग 'बी' - प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, सक्षम और सहायक गतिविधियाँ।
- फंड जारी करना; परिणाम और सुधारों को प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है, डिस्कॉम को पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा।
- यह पहल कुशल बिजली वितरण, टिकाऊ ऊर्जा प्रबंधन और उपभोक्ता कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

परिणाम मूल्यांकन ढांचा (REF)

- RDSS में प्रदर्शन और सुधार का आकलन करने के लिए परिणाम मूल्यांकन ढांचा (REF) शामिल है।
- REF के दो घटक हैं: प्री-क्वालीफाइंग मानदंड और परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स।

डिस्कॉम के लिए पूर्व-अर्हता मानदंड:

- पहले दो वर्षों के लिए बिना अंकेक्षित त्रैमासिक खाते 60 दिनों के भीतर प्रकाशित करना।
- तीसरे वर्ष से 45 दिनों के भीतर त्रैमासिक खातों का ऑडिट किया जाता है।
- पहले दो वर्षों के लिए अंकेक्षित वार्षिक लेखे दिसंबर तक और तीसरे वर्ष से सितंबर तक प्रकाशित करना।
- नवीनतम टैरिफ चक्र में नई नियामक परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं।
- राज्य सरकार 100% सब्सिडी भुगतान सुनिश्चित करती है और परियोजना के अंत तक शेष सब्सिडी समाप्त कर देती है।
- सरकारी संस्थाएँ 100% वर्तमान बिजली बकाया का भुगतान करती हैं।
- सरकार लगाने में प्रगति. प्रीपेड मीटर पर कार्यालय।
- लेनदारों को देय राशियाँ शामिल हैं। जेनकोस ≤ प्रक्षेपित प्रक्षेपवक्र।
- टैरिफ आदेश और टू-अप जारी करना और कार्यान्वयन करना।

AT & C घाटा

- बिजली वितरण क्षेत्र में समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (AT & C) हानि एक प्रमुख मीट्रिक प्रणाली है जो बिजली पारेषण और वितरण की समग्र दक्षता को इंगित करती है। इन नुकसानों में बिजली आपूर्ति और वितरण के तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों पहलू शामिल हैं।

तकनीकी हानि के उदाहरण

- बिजली लाइनों में प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का अपव्यय।
- उपकरण में प्रेरकत्व और धारिता के कारण होने वाली ऊर्जा हानि।

वाणिज्यिक हानियों के उदाहरण

- बिजली चोरी और छेड़छाड़।
- मीटर की अशुद्धियों के कारण गलत बिलिंग हो रही है।
- राजस्व संग्रहण एवं प्रबंधन में अक्षमताएँ।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

हाई यांग 24 हाओ

हाई यांग 24 हाओ क्या है?

हाई यांग 24 हाओ एक चीनी नौसैनिक पोत है, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (पीएलएएन) का हिस्सा है। यह 129 मीटर लंबा है, जिसकी कमान कमांडर जिन शिन के पास है, 138 लोगों के दल के साथ वर्तमान में यह श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह का "औपचारिक दौरा" कर रहा है।

वर्गीकरण: इसे विभिन्न श्रेणियों जैसे फ्रिगेट, विध्वंसक या अन्य प्रकार के नौसैनिक जहाजों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

यात्रा का उद्देश्य: हाई यांग 24 हाओ श्रीलंका में कोलंबो बंदरगाह की "औपचारिक यात्रा" पर हैं।

राजनयिक संदर्भ:

हाई यांग 24 हाओ की कोलंबो यात्रा पिछले चीनी जहाज की यात्रा के ठीक एक साल बाद हो रही है जिसके कारण भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक तनाव पैदा हो गया था।

सारस क्रेन

प्रजाति की पहचान:

- सारस क्रेन (ग्रस एंटीगोन) क्रेन परिवार, ग्रुइडे से संबंधित एक बड़ा पक्षी है।
- यह अपने ऊंचे कद, लंबी टांगों और सिर पर लाल मुकुट के साथ अपनी विशिष्ट उपस्थिति के लिए जाना जाता है।

वितरण:

- सारस क्रेन भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं।
- भारत में, वे विशेष रूप से आर्द्रभूमियों, घास के मैदानों और कृषि क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

सांस्कृतिक महत्व: भारत में इसका सांस्कृतिक महत्व है साथ ही इसे 2014 में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया।

पर्यावास: यह आर्द्रभूमियों, घास के मैदानों, धान के खेतों में निवास करता है; इसे विस्तृत प्रेमालाप प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है।

संरक्षण की स्थिति:

IUCN लाल सूची: असुरक्षित।

कानूनी संरक्षण: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध।

परीक्षण वाहन मिशन (टीवी-डी1)

परीक्षण वाहन मिशन (TV-D1) क्या है?

- परीक्षण वाहन मिशन (TV-D1) भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- यह क्रू एस्केप सिस्टम की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए प्रारंभिक मिशन के रूप में कार्य करता है।

टीवी-डी1 के दौरान परीक्षण किए गए सिस्टम:

- यह टीवी-डी1 उप-कक्षीय स्तर पर गगनयान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न प्रणालियों का परीक्षण करता है।
- यह मिशन मध्य-वायु मिशन, पैराशूट प्रणाली परिनियोजन और क्रू मॉड्यूल पुनर्प्राप्ति जैसी प्रक्रियाओं का सत्यापन करता है।

प्रक्षेपण तिथि: अगस्त या सितंबर के लिए योजना बनाई गई है।
रॉकेट प्रकार: एकल-चरण तरल प्रणोदक।
उप-कक्षीय स्तर: यह मानव अंतरिक्ष उड़ान पहलुओं का अनुकरण करता है।

भारत के आपराधिक न्याय में सुधार

एक महत्वपूर्ण विधायी कदम के रूप में, भारत सरकार ने लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए हैं, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023।

उद्देश्य:

- ब्रिटिश काल के कानूनों को आधुनिक कानूनों से बदलना
- आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलना
- दंड से अधिक न्याय को प्राथमिकता देना

प्रतिस्थापन:

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लेगी
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, 1898 का स्थान लेगी
- भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेगी

परिवर्तन किए:

- आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए 313 संशोधन किये गये हैं
- राजद्रोह से संबंधित प्रावधानों को निरस्त करना
- महिलाओं और बच्चों के लिए त्वरित न्याय के लिए विशेष प्रावधान करना

डिजिटलीकरण पर बल : संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली को डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है
संसदीय प्रक्रिया: विस्तृत और गहन विचार-विमर्श के लिए विधेयकों को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाता है

ईजी.5 वेरिएंट

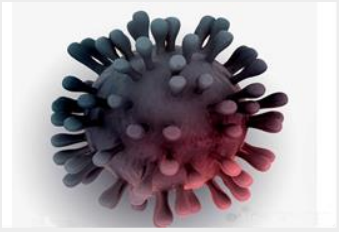

उत्पत्ति और वर्गीकरण:

- ओमीक्रॉन वंश XBB.1.9.2 के वंशज।
- 10 अगस्त, 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा एक वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट (वीओआई) नामित किया गया।
- पहले 19 जुलाई से निगरानी के तहत एक वैरिएंट के रूप में इसकी निगरानी की गई थी।

पहली रिपोर्ट और प्रभावित देश:

- EG.5 को पहली बार 17 फरवरी, 2023 को रिपोर्ट किया गया था।
- 9 अगस्त, 2023 तक कुल 48 देशों में पाया गया।

भारत में प्रभाव: मई में महाराष्ट्र में ईजी.5.1 के रूप में पाया गया।
उत्परिवर्तन और विशेषताएँ:
EG.5 स्पाइक प्रोटीन में अतिरिक्त F456L अमीनो एसिड उत्परिवर्तन करता है।
सबवेरिएंट EG.5.1 में एक अतिरिक्त स्पाइक म्यूटेशन Q52H है।
वैश्विक कोविड-19 स्थिति: 6 अगस्त, 2023 तक वैश्विक स्तर पर 769 मिलियन से अधिक पुष्ट मामले सम्मने ए जिसमें 6.9 मिलियन मौतें हुई।
हालिया रुझान: पिछले 28 दिनों (10 जुलाई से 6 अगस्त, 2023) में 15 लाख नए मामले सामने आये जिसमें 2500 मौतें हुई।

चाय मच्छर बग

चाय मच्छर बग क्या है?

चाय मच्छर बग (हेलोपेल्टिस थीवोरा) एक कीट है जो पौधों के रस को चूसकर चाय और फलों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यह परंपरागत रूप से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता था, लेकिन बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण अब इसका दायरा उच्च ऊंचाई वाले चाय बागानों तक बढ़ गया है।
कीट प्रभाव: यह कीट पत्तियों और फलों में छेद करके पौधे के रस चुस्ता है, जिससे विकृति और क्षति होती है, जिससे चाय का उत्पादन और गुणवत्ता प्रभावित होती है।
भौगोलिक बदलाव: तमिलनाडु की **वालपराई पहाड़ियों** जैसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस कीट के विस्तार के कारण चाय उत्पादन में लगभग 50% की गिरावट आई है।
2014 में टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए प्लांट प्रोटेक्शन कोड (पीपीसी) ने चाय की खेती में उपयोग से कई हानिकारक कीटनाशकों को हटा दिया।
वर्तमान पीपीसी संस्करण (14) दक्षिण भारत में उपयोग के लिए केवल सात कीटनाशकों को मंजूरी देता है।
चाय की खेती:

- उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है।
- कार्बनिक पदार्थ से भरपूर गहरी, उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है।

प्रमुख चाय उत्पादक राज्य: असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा।

समाचारों में स्थान

इंडोनेशिया का आचे प्रांत

स्थान: आचे इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है।
राजधानी: बांदा आचे.
भौगोलिक विशेषताएं: इसकी सीमा पश्चिम में हिंद महासागर, पूर्व में मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण में सुमात्रा के अन्य प्रांतों से लगती है।
प्राकृतिक संसाधन: प्रांत तेल, प्राकृतिक गैस और खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है।
सुनामी त्रासदी: आचे 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर तबाही हुई और लोगों की जान चली गई।
ऐतिहासिक महत्व: आचे की एक अद्वितीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में इस्लामी शिक्षा और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।
इस्लामी अदालतें: प्रांत की अपनी इस्लामी अदालतें हैं जो पारिवारिक विवादों, विरासत और नैतिकता के मुद्दों सहित शरिया कानून से संबंधित मामलों को संभालती हैं।

प्राकृतिक आपदाएँ: 2004 की सुनामी के अलावा, आचे टेक्टोनिक सीमाओं के साथ स्थित होने के कारण भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है।

POINTS TO PONDER

- **पहला अविश्वास प्रस्ताव कब और किस सरकार के खिलाफ लाया गया था**? -1963, तीसरी लोकसभा,तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के ख़िलाफ़ आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया था
- **इक्वाडोर की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है**? -चिम्बोराजो
- **लिम्फैटिक फाइलेरियासिस (एलएफ) मुख्य रूप से कैसे फैलता है**? -मच्छरों से
- **कौन से क्षेत्र बादल फटने के प्रति अधिक संवेदनशील हैं**? -हिमालय, घाट, पूर्वोत्तर
- **किस बंदरगाह ने वैश्विक मानकों के अनुरूप कंटेनरों के लिए 24 घंटे का टर्नअराउंड समय हासिल किया**? -जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए)